न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 20 / 2025	2023 / 106	10.02.2025	26.03.2025

1– हाकमदीन पुत्र रहमान जाति मेव निवासी ग्राम ओदरा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्टान

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

2– सरीपन पत्नी रहमान,
3– मुबीना पुत्री रहमान,
4– मकसूदन पुत्री रहमान,
5– फर्रा पुत्री रहमान,
6– अरफीना पुत्री रहमान,
7– समीना पुत्री रहमान जाति मेवान निवासीगण ग्राम ओदरा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

8– साहबदीन पुत्र रहमान,
9– इरफान पुत्र रहमान,
11– आकूप पुत्र रहमान,
12– हासमदीन पुत्र रहमान,
13– वसीम अकरम पुत्र रहमान,
14– दीनमौहम्मद,
15– उमरदीन,
16–यूसूफ खान,
17–कायम,
18–शाहिद खान पुत्रान कासिम खान जाति मेवान निवासीगण ओदरा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

तरतीबी रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार तिजारा नामान्तकरण संख्या 1332 निर्णय दिनाक 02.10.2018 वाके ग्राम ओदरा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–
01. श्री जर्नादन शर्मा –वकील अपीलान्ट
02. श्री संजय यादव –वकील रेस्पोडेन्टान

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के नामान्तकरण संख्या 1332 निर्णय दिनाक 02.10.2018 ग्राम ओदरा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश

जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज०)

की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलव किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि नामान्तकरण संख्या 1332 वाके ग्राम ओदरा तहसील किशनगढबास में दर्ज आराजी रेस्पोडेन्टान संख्या 02 लगायत 7 एवं अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान को जरिये विरासत अपने पिता रहमान से प्राप्त हुई है, पक्षकारान आपस में सगे भाई बहिन है। असल रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 7 ने उक्त विरासत में प्राप्त आराजी का एक रजिस्टड रिलीज डीड अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टान के पक्ष में दिनाक 11.05.2018 को उप पंजियक किशनगढबास के यहा पंजीबद्व कराया है, तथा अपने पिता रहमान से प्राप्त आराजी को अपने भाई अपीलान्ट एंव तरतीबी रेस्पोडेन्टान के पक्ष में अपने हक त्याग दिये है। उक्त रजिस्टड रिलीज डीड के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1332 पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट एंव तरतीबी रेस्पोडेन्टान के पक्ष में दर्ज किया गया तथा कानूगो द्वारा मिलान किया गया किन्तु तहत अदालत के द्वारा उक्त नामान्तकरण यह कहते हुऐ कि भूमि रहन है, खारिज कर दिया गया। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, अपीलान्ट दिनाक 04.09.2019 को जब पटवारी हल्का के पास रिकार्ड का अवलोकन करने पहुचा तो ज्ञात हुआ कि तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण भूमि रहन होने के कारण खारिज हो गया है। इस पर अपीलान्ट द्वारा अपने भाइयो को इस तथ्य की जानकारी दी तथा उसी दिन भारतीय स्टेट बैक खाखा खैरथल में जाकर समस्त रहन की राशि बैक में जमा करा दी गयी, जिसका नोडयूज प्रमाण–पत्र बैक से प्राप्त किया गया। नोडयूज की प्रति लेकर तहत अदालत के समक्ष उपस्थित होकर पेश की गयी। जिस पर यह कहा गया की उक्त नामान्तकरण खारिज किया जा चुका है, इसके विरूद्व अपील की जावे। जिस पर बिना देरी किये यह अपील पेश की गयी है। अपील किये जाने में हुऐ विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का अपील के साथ पृथक से पेश कर निवेदन है, कि दिनाक 02.10.2018 से 04.09.2019 का समय गुजरा है, व जानकारी के अभाव में गुजरा है, जो काबिल माफी है, अपील अपीलान्टान अन्दर अवधि मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्टान स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्टान ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1332 निर्णय दिनाक 02.10.2018 वाके ग्राम ओदरा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा के विरूद्व अपील न्यायालय को दिनाक 20.09.2019 को पेश की गयी है, जो करीब 11 माह 20 दिन पश्चात पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 02.10.2018 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्टान को दिनाक 04.09.2019 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन किया है, कि नामान्तकरण संख्या 1332 वाके ग्राम ओदरा तहसील किशनगढबास में दर्ज आराजी रेस्पोडेन्टान संख्या 02 लगायत 7 एवं अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान को जरिये विरासत अपने पिता रहमान से प्राप्त हुई है, पक्षकारान आपस में सगे भाई बहिन है। असल रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 7 ने उक्त विरासत में प्राप्त आराजी का एक रजिस्टड रिलीज डीड अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टान के पक्ष में दिनाक 11.05.2018 को उप पंजियक किशनगढबास के यहा पंजीबद्व कराया है, तथा अपने पिता रहमान से प्राप्त आराजी को अपने भाई अपीलान्ट एंव तरतीबी रेस्पोडेन्टान के पक्ष में अपने हक त्याग दिये है। उक्त रजिस्टड रिलीज डीड के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1332 पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट एंव तरतीबी रेस्पोडेन्टान के पक्ष में दर्ज किया गया तथा मिलान किया गया किन्तु तहत अदालत के द्वारा उक्त नामान्तकरण यह कहते हुऐ कि भूमि रहन है, खारिज कर दिया गया। इस तथ्य की जानकारी होने पर उसी दिन भारतीय स्टेट बैक खाखा

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

खैरथल में जाकर समस्त रहन की राशि बैक में जमा करा दी गयी, जिसका नोडयूज प्रमाण–पत्र बैक से प्राप्त किया जा चुका है, जिसकी प्रति वक्त बहस पेश की गई। अब चूँकि नामान्तकरण में वर्णित आराजी फक (ऋण मुक्त) हो चूकि है, जिसका नोडयूज प्रमाण पत्र भी बैक द्वारा जारी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार तिजारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.10.2018 नामान्तकरण संख्या 1332 वाके ग्राम ओदरा तहसील किशनगढबास निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि नामान्तकरण में वर्णित आराजी पर बैंक द्वारा जारी नोडयूज प्रमाण पत्र के आधार पर खातेदारान को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर अधिकतम दो माह में सुनवाई कर विधिवत पुनः निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ वापिस लोटायी जावे, पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)